24

कार्यालय जिला परिषद,अजमेर

क्रमांक : जिपअ/वन अधिकार/2014/ 9331 दिनांकः 26-12-14

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 24.12.14 का कार्यवाही विवरण :-

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 24.12.14 को सभागार जिला कलेक्टेट, अजमेर में जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी । बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई :-

1. अधिशाषी अभियन्ता ,जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड प्रथम, अजमेर के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव चिल्ला जिंदा मदार शाह जिला अजमेर में स्थित वन भूमि खसरा नं0 3766 में से 0.0578 हैक्टर भूमि बाबत परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्वित के संबंध में कोई दावा पेश नही होने के संबंध में अनापत्ति तथा वन भूमि प्रत्यावर्तन से संबंधित है, जिसे पूर्ण चर्चा उपरान्त समिति द्वारा बहुमत से सहमति एंव अनापत्ति प्रदान की गई।

साथ ही जिला अजमेर राजस्थान में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत दय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है । अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर

उप वन संरक्षक, अजमेर

जिला कलेक्टर, अजमेर 24/12

उपखण्ड अधिकारी अजमेर

सदस्यगण

1. मॉगीलाल बालोटिया
2. [illegible]

अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड प्रथम, मलोदाम, अजमेर